

कार्यालय जिलाधिकारी, उत्तरकाशी
जिला स्तरीय समिति
जिला - उत्तरकाशी।

आज दि. 12/11/2023 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड मटवाड़ी में बौगा - भैलूडा मार्ग से घण्डियालघार तक विस्तार हेतु 2.115 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति। की बैठक की गई।

क्र० सं०	अधिकारी/जिलापंचायत सदस्य का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	डॉ० आशीष चौहान	जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।	
2	श्री संदीप कुमार	प्रभागीय वनाधिकारी।	
3	श्री जीत सिंह रावत	जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तरकाशी।	
4	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य, उपला डख्याट गाँव	
5	श्री जितेन्द्र सिंह राणा	जिला पंचायत सदस्य, नाल्ड टकनोर।	
6	श्रीमती अनिता गुसाई	जिला पंचायत सदस्य, कन्सैण	

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी
जिला पंचायत सदस्य
उत्तरकाशी
जिला पंचायत सदस्य
उत्तरकाशी
जिला पंचायत सदस्य
उत्तरकाशी
जिला पंचायत सदस्य
उत्तरकाशी

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE

DISTRICT, UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. Ashish Chauhan I.A.S District Magistrate Uttarkashi on date 12-01-2018 at Uttarkashi in which application claiming rights in civil land area measuring 2.115 hect. for the construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level committee of Bhatwari sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place- Uttarkashi

Dated- 12-1-2018


(Dr. Ashish Chauhan)
District Magistrate

Uttarkashi.

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Uttarkashi

Name of Project- Motor Road Construction of Bonga Bhelura to
Ghandiyaidhar.

No-159/2018

Dated-12-1-2018

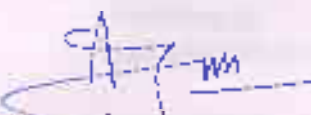
To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.115 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer Construction Division P.W.D. Bhatwari in Uttarkashi (Name of user agency) for construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaidhar Motor Road (Purpose of diversion of forest land) in Uttarkashi District falls within jurisdiction of Aleth & Dhanpur Village(s) in Bhatwari Tehsil(s).

It is further certified that:

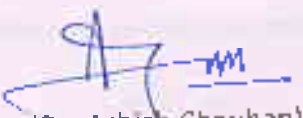
- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.115 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 23 to annexure 23.2
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas of forest-dwellers, who are eligible under the FRA.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


(Dr. Ashwini Kumar)
बतरका
District Magistrate
Uttarkashi.

It is certified that- Minute of Meeting of Construction of Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road, Uttarkashi under PWD Bhatwari Uttarkashi in the state of Uttarakhand regarding FRA is as following-

Sr.no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out the entire 2.115 Hect. of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right Committee(s). Sub Division level Committee are enclosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes, copy records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction Bonga Bhelura to Ghandiyaldhar Motor Road, Uttarkashi section in the state of Uttarakhand scheme attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached and there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest dwellers.


 (Dr. Ashish Chauhan)
 जिलाधिकारी
 District Administrator,

Uttarkashi.

प्रपत्र-23.2
परियोजना का नाम :- जनजात उत्तरकाशी के विकास खाण्ड भूखण्ड में मुख्य
अन्तर्गत वेंगा-भैलुडा मोटर मार्ग
के फि. मा. 6 से हाईवेयल धार तक मोटर
कार्यालय उप जिलाधिकारी, भूखण्ड
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भूखण्ड

उपखण्ड भूखण्ड परिक्षेत्र के अन्तर्गत वेंगा-भैलुडा मोटर मार्ग से संबंधित
है 0 आरक्षित वन भूमि, — है 0 सिविल एवं सोयम वन भूमे है 0
वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 2.115 है 0 वन भूमि) का
प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित
जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के
अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील भूखण्ड) की दिनांक 11-2-2015 को
सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)
अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक
की उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की
अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- 1- श्री के. के. सिंह उपजिलाधिकारी भूखण्ड अध्यक्ष
- 2- श्री डा. ह. लाल उप प्राणीय वनाधिकारी भूखण्ड सदस्य
- 3- श्री ब. रा. च. कुमार सहायक सभाज कल्याण अधिकारी भूखण्ड सदस्य/सचिव
- 4- श्री विनायक बी.डी.सी. क्षेत्र भूखण्ड सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी
की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया

भूमि — परियोजना हेतु 2.115 है 0 वन

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों
के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त
भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग
हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।

संबंधित उप प्राणीय वनाधिकारी, — द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य
परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008
के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन
अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया
है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

कार्यालय उप जिलाधिकारी... 21.2.2015
 उप खण्ड स्तरीय समिति... 21.2.2015

आज दिनांक... 11.2.2015 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड... 21.2.2015

में क्षेत्र... 21.2.2015 मोटर मार्ग का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव... 21.2.2015 है।

के सम्बन्ध में वन अधिनियम-2006 एवं नियम- 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी

समिति की बैठक उप जिलाधिकारी... 21.2.2015 की अध्यक्षता में हुई। माननीय सदस्यों की

उपस्थिति निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1-	क. क. सिंह	उप जिलाधिकारी... 21.2.2015	[Signature]
2-	डॉ. वी. सिंह	उप प्रभागीय वनाधिकारी... धारा 2	[Signature]
3-	डॉ. वि. कुमार	सहायक समाज कल्याण अधिकारी... 21.2.2015	[Signature]
4-	श्रीमती विनायक	डी.डी.ओ. सं. पंचायत सदस्य... 21.2.2015	[Signature]

वैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अटवाडी परिक्षेत्र के अन्तर्गत वेडा ओकरा ओतर भागी से 2.11.5 हे० वन भूमि प्रयोक्ता एजेंसी को जंगल में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- अटवाडी
जनपद- उतर भागी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- अटवाडी
जनपद- उतर भागी

ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

आज दि० २५/०६/२०१५ को ग्राम पंचायत ~~अनेख~~ की आम खुली बैठक में समस्त ग्रामवासियों के समक्ष आहूत की गयी जिसमें ढोंगा मैलूडा मोटर मार्ग का घण्टियालघार तक विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु समरेखण के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया है, कि अधिशायी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, पटवाड़ी उत्तरकाशी के द्वारा जो उक्त मोटर मार्ग का समरेखण किया गया है, उक्त समरेखण को सर्वसहमति व बहुमत के आधार पर सही पाया गया है। हम समस्त ग्रामवासी मोटर मार्ग के समरेखण से सहमत हैं, कि ग्राम पंचायत की सिविल सोयन वन भूमि, नाप भूमि, ग्राम पंचायत भूमि तथा आरक्षित वन भूमि को सर्व सहमति से मोटर मार्ग निर्माण हेतु देने को सहमत है, क्योंकि इसमें न्यूनतम पृष्ठों की क्षति होगी।

आज को बैठक को ग्राम सभा के बैठक रजिस्टर के क्रमांक में प्रस्ताव सं० के रूप में दर्ज किया गया है।

ग्राम वासियों के हस्ताक्षर निम्नतः हैं :-

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
१	गणेशधाम	गणेशधाम	७	जीविन्दसिंह	जीविन्दसिंह
२	देवीसिंह महर	देवीसिंह महर	१०	विजयसिंह महर	विजयसिंह महर
३	सुद्धि सिंह राणा	सुद्धि सिंह	११	मजुनानसिंह	मजुनानसिंह
४	शैलेंद्र सिंह	शैलेंद्र सिंह	१२	सुद्धि सिंह	सुद्धि सिंह
५	मनचान सिंह	मनचान सिंह	१३	मनचान सिंह	मनचान सिंह
६	कल्याण सिंह	कल्याण सिंह	१४	विजयसिंह महर	विजयसिंह महर
७	पुनर सिंह	पुनर सिंह	१५	मनचान सिंह	मनचान सिंह
८	हनुमन्त सिंह	हनुमन्त सिंह	१६	मनचान सिंह	मनचान सिंह

जीता रावत
प्रधान

ग्राम पंचायत - अनेख

सदस्य

ग्राम पंचायत - अनेख
दिनांक २५/०६/२०१५

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

[illegible]

आम ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र

क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर	क्रम सं०	ग्राम वासी का नाम	हस्ताक्षर
17	शु शिवा लाल सिंह				
18	रमेश काल				
19	कल्याण सिंह				
20	विजय सिंह				
21	विजय लाल				
22	पंकज सिंह				
23	RAMESH SINGH				
24	कल्याण सिंह				
25	लक्ष्मण सिंह				
26	शीशपाल सिंह				
27	श्रीराम लाल महर				
28	श्रीराम उदय महर				
29	श्रीराम लाल सिंह				
30	श्रीराम लाल महर				
31	श्रीराम लाल सिंह				
32	श्रीराम लाल सिंह				
33	" उदय महर				

गीता रावत
प्रधान

ग्राम पंचायत- अलेख
नि० २०००- २००० (उत्तरकाशी)

सिद्धेश्वर

लेख पंचायत मानपुर
विकासखण्ड- मतवाडी
जिला- उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)

प्रपत्र - 23

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - पैलूडा मोटर मार्ग का घण्टियाल चार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- धनपुर।

राहसील :- भटवाड़ी, जिला - उत्तरकाशी।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - पैलूडा मोटर मार्ग का घण्टियाल चार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि का प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यर्पित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धनपुर द्वारा दि० ०३.०३-२०१६ को सम्पन्न ग्राम सभा /ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2008 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरिधत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

घर्षा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धनपुर के ग्रामवासियों की उक्त वन भूमि प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिरो जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत-धनपुर
बि०ख०-भटवाड़ी, उत्तरकाशी

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा जनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रेष कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम :- मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - पैतूड़ा मोटर मार्ग का घण्टियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम :- अलेथ ।

तहसील :- भटवाड़ी, जिला - उत्तरकाशी ।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मुख्य मंत्री घोषणा के अन्तर्गत अनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में बौगा - पैतूड़ा मोटर मार्ग का घण्टियाल धार तक विस्तार मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 2.115 हे० सिविल सोयम वन भूमि का प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यवर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत अलेथ द्वारा दि० 25-01-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गयी यह कि वनाधिकारी अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम अलेथ के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि०, भटवाड़ी प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम सचिव


ग्राम पंचायत- अलेथ
वि०ख०- भटवाड़ी, उत्तरकाशी
ह०
ग्राम प्रधान

नोट :- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण

उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।